

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/04/2024

रजू दिनांक: 11.03.2024

रजि० न० 2024/19

अपीलार्थी:-

बनाम

प्रत्यर्थी:-

श्री लखविन्दर कुमार एडवोकेट, कोर्ट
कैम्पस, तहसील परिसर रामगढ़ जिला
अलवर (राज०)

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला
अलवर (राज०)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



दिनांक:- 24.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से पत्रांक 67 दिनांक 18.03.2024 द्वारा जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.03.2024 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित हुआ तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई जावे। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)